प्रकरण सं0 :– 427 / 2007
दायर दिनांक :– 22.08.2007

अनवान

श्री भंवर सिहं पिता देबी सिहं राजपूत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री नन्द सिहं पित रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री अमृत सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री दशरथ सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया
4. श्री नन्द भंवर सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
5. श्री विजय प्रताप सिह पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री लादू सिहं पिता जुगराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, वकील वादी
2. श्री शंकर लाल मण्डोवरा, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 03.02.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खेराडिया माता जी का खेडा प0 ह0 कुराडिया तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1823 / 3 रकबा 03 बीघा 3 बिस्वा भुमि खातेदारी से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादीगण एक ही गांव के होकर पडोसी है। प्रतिवादीगण एक आपराधिक प्रवर्ति के व्यक्ति है। जो वादीगण की कब्जे काश्त आराजीयात मे जबरन कब्जा करने के नियत से आये दिन लडाई झगडा करते रहते हे। एंव जबरन शक्ति के बल पर मुझ वादी की भूमी पर कब्जा करने के आशय से वादीगण के शान्ती पुर्ण उपयोग व उपभोग में दखल पैदा करते है। वादीगण ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो भी प्रतिवादीगण नही माने कहा कि हमारे पास धन बल है हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो। वादी दिनांक 15.07.2007 को वादी अपनी कृषी भूमी पर फसल खूदाई करने गया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादी से लडाई झगडा किया तथा फसल खोदने में गतिरोध पैदा किया। जिससे वाद कारण दिनांक 15.07.2007 से उत्पन होकर निरन्तर जारी है। भविष्य में वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि कें

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री शंकर लाल मण्डोवरा एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त में उक्त भुमि होने का तथ्य अस्वीकार है। वादी का उक्त भुमि पर कोई कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझोते के अनुसार कब्जा काश्त है। एवं प्रतिवादीगण उक्त भुमि पर शांतिपुर्वक ढंग से अपने पुर्वजों के समय से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वामित्व है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसलिये वादी का वाद मय पत्र खर्चे खाारिज फरमाया जावे। वादी से जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की मे जवाबदार उक्त कृषि भूमि को अपने पुर्वजो के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हू एवं न ही हमारे परिवार में कोई विभाजन हुआ है। प्रतिवादीगण का कभी भी इस भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा मै वादी ही इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ विवादीत कृषि भुमि पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी का जवाब उल जवाब स्वीकार फरमाकर वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने की आज्ञा पारित करावे।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2061 से 2064 की प्रति एंव नक्शा ट्रेस की नकल पेश की। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस कारण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का दखल गतिरोध नही करने बाबत प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान बताया की वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसलिये वादी का वाद खाारिज फरमाया जावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हो ऐसा कोई साक्ष्य या सबुत, दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो की वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने पर आमादा हो। उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री भंवर सिहं पिता देबी सिहं राजपूत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री नन्द सिहं पित रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. श्री अमृत सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. श्री दशरथ सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया
4. श्री नन्द भंवर सिहं पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
5. श्री विजय प्रताप सिह पिता रघूराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
6. श्री लादू सिहं पिता जुगराम सिहं राजपुत नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 427/2007

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अमित बिडला का मिनजानिब मुदई व श्री शंकर लाल मण्डोवरा का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.02.19 14:46:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: